



फ 52/केवी सीहोर/ 2023-24

दिनांक 01.01.2025

कार्यालय आदेश

केंद्रीय विद्यालय संगठन(मु0) नई दिल्ली के पत्र क्रमांक फा.11-55/2000-केविसं(सतर्कता)/पार्ट-I दिनांक 03.06.2015 एवं आदेश क्रमांक फा.11-55/2000-केविसं(सतर्कता)/पार्ट -I/1122-25 दिनांक 05.03.2019 के आलोक में दिनांक 09.12.2013 से लागू "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" की धारा-4(2) के अंतर्गत निहित प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय विद्यालय सीहोर में प्राप्त शिकायतों के निपटान हेतु निम्न समिति(Internal Complaint Committee) का गठन किया जाता है।

क्र.	समिति में धारित पद	सदस्यों के नाम एवं पदनाम पता सहित	Jurisdiction
1	Presiding Officer	Smt. Puja Shrivastava, Principal, KV Sehore(Mob. No. 9424475778)	To inquire in the complaints of sexual harassment at work place against the officials at the KV Sehore upto the level of PGT(excluding HM)
2	Female Member	Smt. Sonia Bajpai, PGT(Eng), KV Sehore(Mob. No. 9993091087)	
3	Male Member	Sh. Hosala Rao, TGT(AE), KV Sehore(Mob No. 9039990241)	
4	NGO Member	Ms. Kriti Srivastava, Azim Premji Foundation (Mob No. 9868771108) kriti.srivastava@azimpremji.org	

टिपण्णी:

1. पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सदस्यों का कार्यकाल आदेश जारी होने से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।
2. सभी स्तरों पर आन्तरिक शिकायत समिति का गठन एक आधार पर किया जाएगा, जिससे कि गठित की गई समिति में नामित सदस्यों में से आधे सदस्य महिलाएं होंगी।
3. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(रोकथाम, निषेध, और निवारण अधिनियम 2013)/ "Sexual Harrassment of Women at workplace(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013" के प्रभावों कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समिति अधिनियम में परिभाषित प्रकृति की शिकायतों की जांच सख्ती के साथ निर्धारित कालानुक्रम एवं प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की जाए।


-प्राचार्य

वितरण:

1. पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सभी सदस्य।
2. उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन भोपाल संभाग सूचनार्थ।

प्राचार्य / PRINCIPAL
केन्द्रीय विद्यालय / KENDRIYA VIDYALAYA
सीहोर (म.प्र.) / SEHORE (M.P.)